



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 565]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2009/चैत्र 12, 1931

No. 565]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2009/CHAITRA 12, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2009

New Delhi, the 2nd April, 2009

का.आ. 903(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 30 मई, 2008 में सं. का.आ. 1270(अ), तारीख 30 मई, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

S.O. 903(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 30th May, 2008 vide No. S.O. 1270(E), dated the 30th May, 2008, namely :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (3) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

In the said notification for serial number (3) and entries relating thereto, the following entries shall be substituted namely :—

“(3) श्री दत्ता हनुमंता राजु, —सदस्य  
अध्यक्ष, भारतीय कम्पनी (28-5-2009 तक पद धारण  
सचिव संस्थान करेगा) [ धारा 210क की  
उप-धारा (2) के खंड(ख)  
के अधीन नाम निर्दिष्ट ]”

“(3) Shri Datla Hanumanta Raju, —Member  
President of the Institute of (shall hold office up to  
Company Secretaries of India 28-5-2009) [nominated  
under clause (b) of  
sub-section (2) of  
Section 210A.]”

[फा. सं. 1/5/2001-सी.एल. V]

[F.No. 1/5/2001-CL.V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1270(अ), तारीख 30 मई, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सं. का.आ. 2266(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2008 द्वारा उसमें पश्चात्पूर्ती संशोधन किया गया और सं. का.आ. 144(अ), तारीख 14 जनवरी, 2009 द्वारा उसमें और संशोधन किया गया।

Note :—The principal notification was published vide number S.O. 1270(E), dated the 30th May, 2008 and subsequently amended vide number S.O. 2266(E), dated the 25th September, 2008 and further amended vide number S.O. 144(E), dated the 14th January, 2009.